

प्रेषक,

दुर्गा शक्ति नागपाल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ/जी०आई०एम०एस०, ग्रेटर नोएडा/एस०एस०पी०एच० एण्ड पी०जी०टी०आई० नोएडा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा/मेरठ/प्रयागराज/कानपुर/झांसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/सहारनपुर/कन्नौज/जालौन/बाँदा/बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच/शाहजहाँपुर/बस्ती/अयोध्या/फिरोजाबाद/एटा/हरदोई/सिद्धार्थनगर/देवरिया/गाजीपुर/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/जौनपुर।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2022

विषय:- राज्य कर्मचारियों तथा पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारियों तथा पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराये जाने के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2022/10/पांच-1-22-19जी/2016, दिनांक 07.01.2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू किया जाना है।

2- उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु हेतु एस०ओ०पी० का विवरण निम्नानुसार है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

I/232507/2022

3- पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को क्रियान्वित किये जाने जाने के क्रम में निम्नवत् बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

A. लाजिस्टिक से सम्बन्धित व्यवस्था-

1- शासनादेश दिनांक 07.01.2022 के बिन्दु संख्या-4.3 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कर्मचारियों का कार्ड बनाये जाने हेतु साचीज द्वारा विस्तृत एस०ओ०पी० जारी की जायेगी।

2- कालेज स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया जाय-

2.1- काउन्टर बनाये जाने (जिसमें टेबल, चेयर, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, इन्टरनेट सम्मिलित होगी), की व्यवस्था सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2.2- काउन्टर पर KIOSK की व्यवस्था- सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा बेडों की संख्या, पेशेन्ट लोड, स्ट्रैटिजिट लोकेशन के आधार पर संख्या का निर्धारण किया जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि उक्त संख्या 05 से अधिक न हो।

2.3- मानव संसाधन- कम्प्यूटर आपरेटर आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार संख्या एवं तदनन्तर चयन सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इनका भुगतान आउटसोर्सिंग मद से किया जायेगा।

3- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग सेल बनाया जाय (जिसमें न्यूनतम 04 मैनुअल द्वारा 24X7X365 के लिए सेवाएं दी जायेगी।)

3.1- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन पं० दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना वेब पोर्टल पर कराया जाए- (साचीज इसके इसके लिए एस०ओ०पी० ट्रेनिंग एवं लाजिस्ट्रीक व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।)

3.2- नोडल आफिसर द्वारा अस्पताल की लेखा शाखा अथवा किसी अन्य शाखा के किसी कर्मिक को दीनदयाल मित्र बनाया जाए।

3.3- नोडल आफिसर, क्लर्क, दीनदयाल मित्र, कम्प्यूटर आपरेटर आदि की ट्रेनिंग करायी जाए- (ट्रेनिंग की जिम्मेदारी साचीज की होगी।)

4- धनराशियों के हस्तान्तरण हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के के अन्तर्गत सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा लेखाधिकारी अथवा अन्य अधिकारी को नमित किया जाय।

5- आनलाइन सिस्टम स्थापित किया जाए, (इसके लिए साचीज पोर्टल पर आप्शन क्रियेट करेंगे।)

5.1. स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाए, जिसमें कर्मचारियों एवं उनके अश्रितों से सम्बन्धित डाटा संरक्षण एवं रख-रखाव की व्यवस्था सम्मिलित हो। (इस कार्य हेतु 01 टाइम कैपिटल कैपिटल ग्रास साचीज/कालेज के द्वारा नोडल आफिसर को उपलब्ध कराया जाय।)

5.2. योजना पोर्टल का निर्माण एवं रख-रखाव साचीज द्वारा किया जायेगा।

B. वित्तीय व्यवस्था-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1- लाभार्थियों के इलाज के लिये राजकीय कालेजों में दिये जाने वाले पैकेज की दरों के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

1.1 उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय संस्थानों में प्रचलित दरें ही इस योजना के लिए लागू की जाए।

2- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा सभी संस्थानों/राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पृथक बैंक खाता कालेज के वित्त विभाग विभाग द्वारा खोला जाए। खाता संचालन हेतु नोडल अधिकारी अस्पताल लेखा शाखा अथवा किसी अन्य शाखा से नामित किया जाए, जिसकी समस्त वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी होगी।

3- लाभार्थी के उपचार में जो धनराशि मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा व्यय की जायेगी, उसे मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों की आय माना जायेगा- (जैसा कि किसी भी अन्य श्रेणी के मामले में होता होता है।)

3.1- वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेजों को प्राप्त होने वाली आय को राजकोष में जमा किया जाता है। यही व्यवस्था पं० दीनदयाल उपाध्याय केशलेस चिकित्सा योजना में प्रस्तुत आय के लिए भी लागू होगी।

3.2- एच०आर०एफ० एवं आई०आर०एफ० की भांति केवल स्वशासी संस्थानों में प्राप्त आय के व्यय पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3.3- संस्थानों में पूर्व से ही मरीजों द्वारा लिये गये शुल्क को आय माना जाता है, तथा कुछ संस्थानों में आई०आर०एफ० एवं एच०आर०एफ० की व्यवस्था लागू है। यही व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

4- विषयगत योजना से प्राप्त धनराशि के कुछ प्रतिशत का व्यय निम्न मर्दों में किया जायेगा:-

4.1- इस योजना से सम्बन्धित अतिरिक्त कम्प्यूटर आपरेटर/कर्मचारियों आदि का वेतन दिया जाना एवं अन्य कैपिटल रेकरिंग एवं अनुरक्षण पर व्यय किया जाय।

4.2- उपरोक्त कर्मचारियों के अवकाश आदि की व्यवस्था दीनदयाल मित्र की भांति होगा।

5- अस्पताल लेखा प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी-

5.1- कैशबुक बनाना

5.2- कैशबुक में समस्त लेनदेन का अंकन किया जायेगा।

5.3- कैशबुक का मासिक सत्यापन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों के प्रमुख से कराया जायेगा।

5.4- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह के अन्त में व्यय की गई धनराशि का समायोजन मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा अपने आई०आर०एफ० एवं एच०आर०एफ० एवं अन्य मद में प्रचलित मानको के अनुसार किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

I/232507/2022

5.5- योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय होने पर निम्न प्रारूप उपभोग की सूचना निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करते हुए आग्रिम धनराशि धनराशि की मांग की जायेगी।

-उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप-

क्र सं०	कर्मचारी अधिकारी का नाम	स्टेट हेल्थ कार्ड न०	रजिस्ट्रेशन न०	उपचार का नाम	जाँच	औषधि	अन्य व्यय	कुल
---------	-------------------------	----------------------	----------------	--------------	------	------	-----------	-----

5.6- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रारूप के अनुसार मरीजों का विवरण तथा उपचार संबंधी समस्त अभिलेखों को अस्पताल लेखा के द्वारा संरक्षित किया जायेगा।

6- उपचार हेतु यदि सामग्री/औषधियों/इम्प्लांट का क्रय बाजार से किया जाता है तो भण्डार क्रय नियम का पालन किया जायेगा।

7- मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कैशलेस चिकित्सा योजना पर व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख-रखाव अस्पताल लेखा द्वारा किया जायेगा तथा उसके आडिट की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल लेखा की होगी।

4- योजना से संबंधित हर दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि यह योजना अन्तः रोगी रोगी के लिए ही लागू है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाय कि रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व का समस्त व्यय रोगी के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में प्रचलित नियमावलियों के तहत की जायेगी।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शक्ति नागपाल)
विशेष सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

I/232507/2022

4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।